

पत्र संख्या : ८८/४७०२ यो०ज०स०— १३/१२ .....

265

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,  
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका;  
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : २७.३.१३

विषय :-

माँग संख्या-५०-लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष-७८९-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत उपयोजना, उप शीर्ष-१८-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (चालू योजना), विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण ४५ मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड-५०P470200789180545 के अन्तर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२-२०१३ में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष ४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत परिशिष्ट-१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र०	माँग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/ विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	4
1.	५०-लघु सिंचाई विभाग /४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	७८९ - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत उपयोजना/१८-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (चालू योजना)	०५-निर्माण ४५ मुख्य निर्माण कार्य/ ५०P470200789180545	136.50

अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ एक करोड़ छत्तीस लाख पचास हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष २०१२-२०१३ के तृतीय अनुपूरक के पश्चात् संशोधित बजट उपबंध (वर्ष २०१२-१३) रु. २१०.०० लाख (दो करोड़ दस लाख) मात्र के अन्तर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति के अन्तर्गत एवं परिशिष्ट-१ में वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक पर में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(ओंकार नाथ)

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)

(सुबोध कुमार सिन्हा)

(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।
- नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

८१  
(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/दुमका/पाकुड़ सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त





८२  
(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- २६५-

राँची, दिनांक :- २७.३.१७

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो०) राँची/विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि०)/उप सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

      
(ओंकार नाथ) (जयप्रकाश भट्टाचार्य) (सुदूरेध कुमार सिंह) (बी. सी. निगम) (प्रदीप सिंह)  
सहायक अभियंता उप सचिव (अभि०) संयुक्त सचिव (अभि०) विशेष सचिव (अभि०) प्रधान सचिव

265 / चैंची, दिनांक - 27.3.13

पत्रांक -  
मौग संख्या-50-लघु सिंचाई विभागमुख्य शीर्ष -4702 लघु सिंचाई पर पूर्जीगत पारिव्यय  
लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीकृत उपयोजना,उपशीर्ष -18-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण  
विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य,

विपत्र कोड-50P470200789180545

तृतीय अनुपूरक के पश्चात् संशोधित बजट उपबंध (वर्ष 2012-13) ₹. 210.00 लाख

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	लघु सिंचाई प्रमाणल	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	तृतीय वर्ष 2012-13 में आवंटन			अन्यकृत			
					मार्च 2012 तक	का व्यय	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
चेकडैम निर्माण (चालू योजना)											
1	लघु सिंचाई प्रमाणल, पाकुड	पाकुड	पाकुड	रामचन्दपुर ग्राम में दाहा नाला पर चेकडैम निर्माण	29.579	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
				रजीपुर ग्राम में रजीपुर नाला पर चेकडैम निर्माण	46.400	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	
				संग्रामपुर ग्राम में दाहा नाला पर चेकडैम निर्माण	28.329	0.100	0.200	0.000	0.000	0.000	
				दादपुर ग्राम में दादपुर नाला पर चेकडैम निर्माण	28.765	0.000	60.000	136.500	136.500	196.500	
				भुरकुपड़ा ग्राम में फाटक नाला पर चेकडैम निर्माण	39.090	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
				जमशेदपुर ग्राम में धोराबील नाला पर चेकडैम निर्माण	26.229	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
				जमशेदपुर ग्राम में जमशेदपुर नाला पर चेकडैम निर्माण	26.229	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
				हरेरामपुर ग्राम में हरेरामपुर नाला पर चेकडैम निर्माण	19.533	0.150	0.000	0.000	0.000	0.000	
				मलैयापुर ग्राम में मलैया नाला पर चेकडैम निर्माण	25.875	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
				मलैयापुर ग्राम में डोरा नाला पर चेकडैम निर्माण	29.847	0.150	0.000	0.000	0.000	0.000	
				योग	299.876	0.850	60.000	136.500	136.500	196.500	

अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ एक करोड़ छह सौ लाख पचास हजार मात्र।

  
(ओंकार नाथ)  
सहायक अधिकारी


  
(जयप्रकाश भट्टाचार्य)  
उपसचिव (अधि. ०)


  
(सुबोध कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अधि. ०)


  
(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव


  
(एस० के शास्त्रीय)  
प्रधान सचिव